रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :
(क) चार वे हैं :-

(i) पश्चिम रेलवे पर सवाई माधोपुर में, समपार संख्या 151 के बदले में,

(ii) पश्चिम रेलवे पर जयपुर के समीप समपार संख्या 217 के बदले में,

(उपर्युक्त इन दो का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है।

(iii) पश्चिम रेलवे पर भीलवाड़ा में, समपार संख्या 67 के बदले में; और

(iv) उत्तर रेलवे पर राय का बाग (जोधपुर) में।

(ख) रेल और सड़क यातायात के वर्तमान घनत्व का विचार करते हुए, पश्चिम रेलवे के कोटा मंडल में हिंडौन और गंगापुर सिटी में वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी / निचले सड़क पुलों की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है और न ही राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इन्हें प्रयोजित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और जबलपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

50. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जबलपुर के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है: और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दे दिया जायेगा?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :
(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

2.03 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्री उग्रसेन (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री लोग जो पेपर्स और विधायक यहां रखते हैं वह हमें नहीं मिल पाते। जो पैकेट आप के सचिवालय से भेजे जाते हैं वे भी हमें नहीं मिल पाते जिससे हम लोग उनको पढ़ नहीं पाते तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिस से वे हम को मिल सकें?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The papers that are being laid on the Table cannot be given in advance. Most of them are Notifications and these Notifications are placed in the Library: they are not sent to all the Members. If you want, you can refer to them in the Library.

NOTIFICATIONS UNDER BURMAH SHELL (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) ACT, ESSENTIAL COMMODITIES ACT, OIL AND NATURAL GAS COMMISSION ACT, ETC.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Burmah Shell (Acquisition of Undertakings in India) (Administration of Fund) Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 945 (E) in Gazette of India dated the 24th December, 1976 under sub-section (2) of section 20 of the Burmah Shell (Acquisition of Under-